न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 183 / 2022 निर्णय दिनांक :– 28.10.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. मोहन पुत्र घीसा जाति माली उम्र बालिग 50 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. आशाराम पुत्र घीसा जाति माली उम्र बालिग 48 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. धर्मचन्द पुत्र पुत्र घीसा जाति माली उम्र बालिग 45 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
2. लादू पुत्र काना जाति माली उम्र बालिग 53 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. राजेश पुत्र काना जाति माली उम्र बालिग 43 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. चांदमल पुत्र बद्रीलाल जाति महाजन उम्र बालिग 65 वर्ष निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्य्रवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ता 4
पेरोकार सरकाा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राज0 लण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता घीसा पुत्र बालू माली की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 318 खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 1694 रकबा 0.65 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.34 है० वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण के पिता घीसा की मृत्यु हो चुकी हैं और प्रार्थीगण की माता जमना की भी मृत्यु हो चुकी है।

र्थीगण ही मृतक घीसा व जमना के विधिक वारिस है। प्रार्थीगण के पिता घासी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी साबिक जमाबंदी सम्वत 2028 से 2031 खाता संख्या 463 खसरा नम्बर 2441, 2444, 2445 मे प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी मे नाम घीसा पुत्र बालू दर्ज है लेकिन दोराने बंदोबस्त उक्त साबिक आराजी भूमि के खसरा नम्बर 1686 व 1687 कायम कर मिसल बंदोबस्त के पश्चात जमाबंदी सम्वत 2046 से 2065 में प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की भूमि मे दादा का नाम बालू के बजाय राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश नाथू अंकित कर दिया जो गलत है। अभी हाल ही में नासिरदा पटवार हल्का मे गोपालपुरा राजस्व ग्राम सृजित होने से आराजी भूमि खसरा नम्बर 1686 के हाल खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.69 है० एवं आराजी भूमि खसरा नम्बर 1687 के हाल खसरा नम्बर 1694 रकबा 0.65 है. बनाये गये। प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण के दादा का नाम बालू पूर्व की जमाबंदी सम्वत 2028 से 2031 में सही अंकित हो रखा है परन्तु उसके बाद की जमाबंदी में बदस्तुर प्रार्थीगण के दादा का नाम नाथू चला आ रहा है इस कारण से राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के दादा का नाम नाथू माली के बजाय बालू माली अंकित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थी स. 2 ता 4 को सह खातेदार होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा प्रार्थीगण के नाम भूमि का नामांतकरण नहीं खुल पा रहा है ऐसी स्थिति मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के दादा का नाम न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी हाल खाता संख्या 318 खसरा नम्बर 1693 रकबा 0.69 है0, खसरा नम्बर 1694 रकबा 0.65 है0 कुल किता–2, कुल रकबा 1.34 है० वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में प्रार्थीगण के दादा का नाम दुरूस्त किया जाकर घीसा पुत्र नाथू माली के बजाय घीसा पुत्र बालू माली अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार देवली द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकर है:–चरण एक स्वीकार है। वादी की खातेदारी भूमि ग्राम नासिरदा में स्थित है। चरण द्वितिय स्वीकार है। चरण तृतीय आंशिक स्वीकार है।, जमाबन्दी की प्रति संलग्न है। भू– प्रबन्ध बाद घीसा पुत्र नाथु दर्ज है। चरण चार स्वीकार है। चरण 5 न्यायालय से सम्बंधित है। इस प्रकार भू प्रबन्ध से पूर्व घीसा पुत्र बालू दर्ज है। भूप्रबन्ध मे घीसा पुत्र नाथू दर्ज है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही अपनी बहस में दोहराया।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2027–31 में कॉलम संख्या 5 में घीसा पुत्र बालू व काना वल्द श्रीकिशन माली दर्ज रिकॉर्ड है व कॉलम संख्या 6 में ख. नं. 2441, 2444, 2445 का अंकन है। नामान्तकरण पंजिका नामान्तकरण संख्या 87 के कॉलम 11 में भी घीसा वल्द बालू का अंकन है। भू प्रबन्ध के मिलान क्षैत्रफल में साबिक ख. नं. 2444, 2441, 2445 से ख. नं. 1686 व 1687 बनाये गये का अंकन है। ग्राम नासिरदा से ग्राम गोपालपुरा बनाये जाने से ख. नं. 1686 व 1687 से हाल ख. नं. 1693 व 1694 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सेटलमेन्ट के बाद की जमाबन्दी सम्वत 2046–65 के कॉलम संख्या 4 में घीसा पुत्र नाथू का का अंकन कर दिया जिसको वाद घीसा पुत्र नाथू के स्थान पर घीसा पुत्र बालू करवाना चाहता है। उक्त से स्पष्ट है कि सेटलमेंट से पूर्व घीसा पुत्र बालू के नाम का अंकन था जिसको सेटलमेंट के समय नयी जमाबन्दी बनाते समय घीसा पुत्र नाथू कर दिया। जिसको शुद्ध किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 318 में दर्ज ख. नं. 1693, 1694 में दर्ज घीसा पुत्र नाथू के बजाय घीसा पुत्र बालू दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर नियमानुसार हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली